दलितों व शोषितों का पाक्षिक पत्र
विज्ञापन के लिए केन्द्रीय सरकार व राज्यों द्वारा स्वीकृत

हमायती

सम्पादक–डॉ0 सोहनपाल सुमनाक्षर

❑ वर्ष 56 ❑ अंक-9 ❑ दिल्ली ❑ फरवरी, 2018 (प्रथम) ❑ मूल्य : 2 रु.

सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में दलित साहित्यकारों की भूमिका

–डॉ. सुमनाक्षर

भारत देश की सामाजिक व्यवस्था मनुस्मृति की वर्ण व्यवस्था पर आधारित है। इसके अन्तर्गत समाज में ब्राह्मण सर्वोच्च पहले स्थान पर, क्षत्रिय दूसरे स्थान पर, वैश्य तीसरे स्थान पर और शूद्र चौथे स्थान यानी सबसे नीचे है। ब्राह्मणों का काम शिक्षा देना और मनुस्मृति के दंड–विधान को लागू कराना था, वहीं क्षत्री का देश की सुरक्षा और शासन चलाना था और वैश्य का काम खेती–बाड़ी व व्यापार करना था। ये उपरोक्त तीनों श्रेणी 'द्विजों' की थी। शूद्रों का काम उपरोक्त तीनों श्रेणी के लोगों की सेवा करना और उनके हुक्म का पालन करना था। इन्हें शिक्षा प्राप्त करने, धन अर्जित करने और स्वतंत्र जीवन जीने का निषेद्ध था। शूद्रों को भी दो भागों में बांटा गया था—सछूत व अछूत। शूद्रों के सछूत वर्ग में वे लोग आते थे जो द्विजों के चौखट (घर) के अन्दर जा सकते थे और अछूत वर्ग के लोगों को उनकी चौखट से दूर गांव से बाहर रहने का प्रावधान था। इन अछूतों के छू जाने को पाप माना जाता था और इनकी छाया से दूर बचकर रहना शुभ माना जाता था। इनका दिन में घर से बाहर निकलना निषेद्ध था, सिर्फ रात को ही इन्हें घूमने–फिरने का विधान था। पेशवाओं के राज में अछूतों को रात के अन्धेरे में गले में थूकने के लिए हांडी व पीठ पीछे झाड़ू बांधकर चलने का प्रावधान था ताकि उनके पांव के निशान से अपवित्र हुई जमीन झाड़ू से साथ–साथ शुद्ध हो जाए।

मनुस्मृति की यह वर्ण व्यवस्था पिछले पांच हजार साल से देश का भारतीय संविधान 26 जनवरी, 1950 को लागू होने तक लागू रही। इस वर्ण–व्यवस्था के कारण 15 प्रतिशत द्विजों ने 85 फीसदी शूद्रों (दलितों) को बंधुआ, दास व गुलाम बनाये रखा और देश की सत्ता व सम्पदा पर एकाधिकार बनाये रखा। यही नहीं, द्विजों ने शूद्र–अछूतों पर अपनी पूर्ण एकाधिकार कायम रखने के लिए उन्हें अनेक जाति व उपजातियों में बांट दिया और उन पर कर्तव्यों के नाम पर सख्त से सख्त व घृणित काम थोप दिये। इसका यह परिणाम निकला कि समाज हजारों जातियों व उपजातियों में बंट गया और शूद्र वर्ण की प्रत्येक जाति व उपजाति अपने को 'ऊंची' व दूसरी जाति को 'नीची' जाति समझने लगी। यह सब इसलिए किया गया ताकि शूद्र जातियां एकजुट हों, मुट्ठी भर सवर्णों के विरुद्ध विद्रोह न कर सकें।

इसके साथ ही ब्राह्मणों ने पुनर्जन्म, भाग्य–भगवान, पाप–पुण्य, धर्म–करम, स्वर्ग–नरक की 'थ्योरी' घड़ी और उन्हें भी अपने शास्त्रों में शामिल कर इसे भगवान निर्मित घोषित किया। मनुस्मृति को भी भगवान मनु का विधान बताकर शूद्रों को उस पर विश्वास करके स्वीकारने और उस पर अमल करने को अपना धर्म मानने को बाध्य किया। यही नहीं, मनुस्मृति में सवर्णों (द्विजों) के लिए अलग दंड विधान और शूद्रों के लिए अलग दंड विधान का प्रावधान किया और उसके उल्लंघन व विरोध करने पर अंग–भंग व मृत्युदंड जैसा विधान रखा।

इस ब्राह्मणवादी षड्यंत्र ने समाज को हजारों जातियों व उपजातियों में बांट दिया और प्रत्येक जाति अपने को ऊंची और दूसरी को नीची समझने लगी। देश की सत्ता व सम्पदा पर केवल मुट्ठी भर द्विजों (सवर्णों) का कब्जा रहा और देश की 85 फीसदी शूद्र (दलित) दासता व गुलामी को अपना कर्तव्य समझकर निभाते रहे और बिना अपने किसी 'अधिकार' को सोचे उनकी गुलामी में जुटे रहे। सदियों से शिक्षा से वंचित रहने के कारण उनकी विचारशक्ति व तर्कशक्ति ही खत्म हो गई और जो ब्राह्मणों ने उन्हें बताया उसे ही उन्होंने अपनी नियति समझ लिया। उन्होंने यह समझ लिया कि यह पूर्व जन्म के पापों का फल है जो हम 'नीच जात' में पैदा हुए हैं। अब हमें अपने मालिकों की हुक्म बजा करके अच्छी सेवा करनी है ताकि हमारा अगला जन्म सुधर सके। सवर्णों का अत्याचार सहना हमारा कर्त्तव्य है।

इस तरह सदियों से अज्ञानता के कारण दलित समाज ब्राह्मणों के कर्मकांड, पाखंड, धर्मान्धता में फंसा अधिकारविहीन जीवन जीते हुए क्रूर से क्रूर अत्याचार सहता रहा। उसे न मानवीय जीवन जीने का अधिकार था और न ही सम्मान व समानता की बात करने का। ब्राह्मणवादी इस वर्ण व्यवस्था के खिलाफ सबसे पहला

(शेष पृष्ठ 3 पर)

सम्पादकीय

खाप पंचायतों के तुगलकी फरमानों पर सुप्रीम कोर्ट का हथौड़ा

सुप्रीम कोर्ट ने 16 जनवरी (मंगलवार) को खाप पंचायतों के तुगलकी फरमानों पर प्रहार करते हुए कहा कि अन्तरजातीय विवाह करने वाले वयस्क पुरुष और स्त्री पर खाप पंचायतों का किसी भी प्रकार का हमला गैर कानूनी है। यदि दो वयस्क विवाह करते हैं तो कोई खाप पंचायत, व्यक्ति या संगठन उस पर सवाल नहीं उठा सकते।

प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति ए.एम. खान बिलकर और न्यायमूर्ति धनंजय चन्द्रचूड की खंडपीठ ने अन्तरजातीय और सगोत्र विवाह के मामलों में 'परिवार की इज्जत की खातिर' ऐसे युवा दम्पत्तियों की हत्या और उन्हें परेशान करने से रोकने के बारे में केन्द्र सरकार से कहा है कि वह अपने सुझाव दे ताकि इस विषय में जरूरी आदेश दिया जा सके।

भारतीय संविधान हर बालिग नागरिक को अधिकार देता है कि वह अपनी पसंद और सहमति से किसी से प्रेम और विवाह कर सकता है, पर वहीं दूसरी ओर सामाजिक परम्पर व परिवार की इज्जत की खातिर खाप पंचायत उसे ऐसा करने से रोकती है। यह देश की संवैधानिक व्यवस्था के खिलाफ है। इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर ठीक ही कहा है कि अगर कोई बालिग लड़का या लड़की अपनी मर्जी से शादी करते हैं तो यह उनका संवैधानिक मौलिक अधिकार है। उस पर कोई भी खाप पंचायत, सामाजिक समूह या व्यक्ति न तो इस पर सवाल उठा सकता है, न सजा तय कर सकता है। इससे साफ हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट की राय में किसी नागरिक को उसके संवैधानिक अधिकारों से वंचित नहीं किया जा सकता। वहीं दूसरी ओर अभी तक कोई भी सरकार इन नियमों पर अमल सुनिश्चित कराना अपनी प्राथमिक जिम्मेदारी नहीं समझती। इसी कारण से खाप पंचायतें कानून अपने हाथ में लेकर गैर–कानूनी तरीके से सामंती फरमान जारी करती है और प्रेमी जोड़ों और अन्तरजातीय विवाह करने वाले दम्पत्ति को दण्डित करते हुए उनकी बेइज्जती करते हैं, काला मुंह करके सरेआम घुमाया जाता है, उनके परिवार का 'हुक्कापानी' बंद करके समाज से 'बाईकॉट' कर दिया जाता है, विरोध करने पर उन पर हिंसक हमला करके 'परिवार की इज्जत' के नाम पर मौत के घाट उतार दिया जाता है लेकिन खाप पंचायत के ऐसे पंचों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं की जाती।

ऐसे मामले अक्सल में आये दिन सामने आते हैं जब किसी प्रेमी जोड़े को सिर्फ इसलिए मार डालने का खाप पंचायत ने फरमान सुनाया और उन्हें मार डाला गया क्योंकि वे या तो सगोत्रीय सम्बन्ध में थे या फिर अलग–अलग नीची या ऊंची जाति से आते थे। यही उनका कसूर था जो खाप पंचायत की निगाह में सामाजिक अपराध है और इसे रोकना उसका फर्ज है। यह स्थिति न केवल एक सभ्य समाज के लिए अमानवीय है बल्कि संविधान और व्यक्तिगत मौलिक अधिकार का खुला उल्लंघन है।

सुप्रीम कोर्ट के सामने सन 2010 से इस मामले में सुनवाई चल रही है पर केन्द्र सरकार अपनी मर्जी से शादी करने वालों को सुरक्षा देने से सम्बन्धित कोई कानून लाना तो दूर, अब तक कोई सुझाव भी पेश नहीं कर पाई है। विधि आयोग इस विषय में पहले ही अन्तरजातीय विवाह करने वालों की सुरक्षा के लिए केन्द्र सरकार को कानून बनाने की सिफारिश कर चुका है। सरकार के इस रवैये पर सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा है कि अगर खाप पंचायत पर पाबन्दी लगाने में केन्द्र सरकार

(शेष पृष्ठ 2 पर)

भारतीय दलित साहित्य अकादमी प्रकाशन

विश्व धरातल पर दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अंधा समाज और बहरे लोग	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
सिन्धु घाटी बोल उठी	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
अब नहीं रहेंगे हाशिये पर	डॉ. सुमनाक्षर	80/–
अम्बेडकर शतक	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
विश्व विभूति डा. अम्बेडकर	डॉ. सुमनाक्षर	50/–
दलित लेखक परिचय ग्रंथ (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	250/–
बुद्धा टू अम्बेडकर (अंग्रेजी)	डॉ. सुमनाक्षर	150/–
दलित साहित्य	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
अम्बेडकर दर्शन	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
हमारे संत और समाज सुधारक	डॉ. सुमनाक्षर	60/–
धर्म और समाज	डॉ. सुमनाक्षर	40/–
आदिम जाति चमार (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	300/–
दलित उद्घोष	डा. सुमनाक्षर	80/–
दलित साहित्य की हुंकार-सात समन्दर पार	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
युगपुरुष बाबू जगजीवनराम	डॉ. सुमनाक्षर	200/–
प्राचीन आदिम जाति वाल्मीकि (इतिहास, धर्म, संस्कृति)	डॉ. सुमनाक्षर	100/–
सभ्यता, संस्कृति, समाज और साहित्य	आचार्य गुरुप्रसाद	100/–
डा. अम्बेडकर भजनावली	राजमल 'राज'	25/–
हमारे दलित गौरव	राजमल 'राज'	25/–
भारत रत्न डा. बी.आर. अम्बेडकर	राजमल 'राज'	25/–
मूल भारती से दलित	राजमल 'राज'	50/–
अम्बेडकरवाद बनाम सामाजिक परिवर्तन	राजमल 'राज'	80/–
दलित साहित्य–दशा और दिशा	डा. माता प्रसाद	200/–
दलित साहित्य से सामाजिक परिवर्तन	डा. माता प्रसाद	100/–
भारत की गुलामी के 22 सौ साल	प्रदीप कुमार मौर्य	250/–
सृजन के कण	जीपी पचौरिया 'दीप'	150/–
बौद्ध धर्म–गया से अयोध्या तक	प्रदीप कुमार मौर्य	120/–
गांधी, अम्बेडकर और दलित	प्रदीप कुमार मौर्य	100/–
सत्सम दर्शन	राजमल 'राज'	100/–
जागा मेहनतकश इंसान	राजमल 'राज'	50/–
हम एक हैं	डा. माता प्रसाद	60/–
रैदास से संत शिरोमणि गुरु रविदास	डा. माता प्रसाद	50/–
ताकि सनद रहे	डा. सुमनाक्षर	100/–

पुस्तक मंगाने के लिए मनीआर्डर से राशि अग्रिम भेजें, व्यवस्थापक,

दलित साहित्य सेन्टर

(भारतीय दलित साहित्य अकादमी)

बी–3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन–1, दिल्ली–9

फोन : 27421449, 27421460, मो. 9810278936

अम्बेडकर और जाति विमर्श

लाजपत राय

भारत रत्न अम्बेडकर को आधुनिक भारत के निर्माताओं में एक माना जाता है। उन्हें दलितों के मसीहा और भारतीय संविधान के प्रमुख निर्माता के रूप में याद किया जाता है। जवाहर लाल नेहरू के शब्दों में ''वे हिन्दू समाज के अत्याचारपूर्ण तत्वों के प्रति विद्रोह के प्रतीक थे।'' उन्होंने अछूत या अस्पृश्य मानी जाने वाली जातियों को संगठित किया, शासन के अंगों में उनके प्रतिनिधित्व के लिए संघर्ष किया और उनकी शिक्षा को बढ़ावा दिया। स्वयं अछूत जाति में जन्म लेकर उन्होंने अनवरत संघर्ष और आत्मविश्वास के बल पर उच्च शिक्षा प्राप्त की थी।

कबीर का एक दोहा है–

जाति ना पूछो साधु की
पूछ लीजियो ज्ञान
मोल करो तलवार का
पड़ी रहने दीजिये म्यान।

इस दोहे का अर्थ है जाति नहीं व्यक्ति के ज्ञान को महत्व दीजिये परन्तु वास्तविकता अलग है जो ज्ञान के भंडार अम्बेडकर को झेलनी पड़ी। भारत ही नहीं विश्व के महान आधुनिक विद्वानों की श्रेणी में एक अम्बेडकर को अपने बचपन से लेकर निर्वाण के समय तक जाति का दंश झेलना पड़ा था।

बचपन में विद्यालय में पीने का पानी अलग होना, अपनी बहन के साथ लम्बी बैलगाड़ी की यात्रा करना और जब बैलगाड़ी वाले को उनकी जाति पता चलती है तो वह उन्हें बैलगाड़ी से उतारता है। नाई द्वारा बाल काटे जाने से मना करना। विदेश से ऊंची शिक्षा प्राप्त कर भारत लौटना और अधिकारी पद को सुशोभित करना परन्तु वहां भी जाति के कारण अपमान झेलना। चपरासी द्वारा फाइल फेंक कर दिया जाना। जाति आधारित अपमानों का सामना करने के बाद अम्बेडकर ने जाति प्रथा का गहन अध्ययन किया और पाया कि भारत के सामाजिक जीवन में विषमता और अन्याय किस हद तक फैले हुए थे।

अम्बेडकर उन लोगों से सहमत नहीं थे जो देश की स्वाधीनता के लक्ष्य के सामने सामाजिक सुधर के लक्ष्य को गौण मानते थे। उन्होंने यह दर्शाया कि हमारा समाज भीतर से कितना विकृत हो चुका है, उसमें उपयुक्त सुधर हमारा सर्वप्रथम लक्ष्य होना चाहिये, अन्यथा विदेशी शासन से स्वाधीनता भी निरर्थक हो जाएगी। उन्होंने यह भी अनुभव किया कि उच्च जातियों के कुछ संत–महात्मा और समाज सुधारक वंचित वर्गों के प्रति सहानुभूति तो रखते हैं और समानता पर जोर देते हैं, परन्तु वे इस दिशा में कोई ठोस योगदान नहीं कर पाए।

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के विचार कि सवर्ण हिन्दुओं का हृदय परिवर्तन करके छुआछूत की प्रथा मिटाई जा सकती है और उन्हें विश्वास था कि ऐसा जल्दी ही होगा। अम्बेडकर इससे सहमत नहीं थे। उनका तर्क था कि ''टूटे–फूटे मकान की रंगाई–पुताई करके उसकी दुर्दशा को छिपा तो सकते हैं, सुधार नहीं सकते। ऐसी हालात में उसे गिराकर नया मकान बनाना ही उपयुक्त होगा।''

अम्बेडकर द्वारा जाति दंश झेले जाने की पीड़ा का नामवर सिंह ने धनंजय कीर द्वारा लिखित और हिन्दी भाषा में अनुवादित डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर जीवन–चरित्र के प्राक्कथन में बड़ा सजीव वर्णन किया है। वे लिखते हैं, ''डॉ. बाबा साहब अम्बेडकर का ख्याल आते ही यादों के परदे पर महाकवि निराला की यह उक्ति कौंध जाती है :

बाहर मैं कर दिया गया हूं।
भीतर पर, मर दिया गया हूं।''

यह पंक्ति उस कवि की है जो अपने आपको ब्राह्मण समाज में ज्यों अछूत समझता था। अम्बेडकर तो सचमुच ही अछूत थे, पूरे हिन्दू समाज के लिए। बाहर कर दिये जाने की पीड़ा कितनी गहरी रही होगी उनमें। बहिष्कृत भारत का यह प्रतीक पुरुष एक वीर योद्धा था। ऐसा योद्धा जिसकी सारी जिन्दगी किसी न किसी मोर्चे पर लड़ते कटी। मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि उस अथक योद्धा की शक्ति का मूल उत्स क्या था? कहते हैं कालजयी कलाकार माइकेल ऐंजेलो से एक मित्र ने पूछा था, ''इस ठंड में कौन सी चीज आपको जिन्दा रखती थी? जवाब था–अपमान की ज्वाला।''

नामवर सिंह आगे लिखते हैं, अपमान की यह ज्वाला कहीं न कहीं अम्बेडकर के अंदर भी धधक रही थी। इस ज्वाला की प्रबलता का ठीक–ठीक अंदाजा कोई अछूत ही लगा सकता है। बड़ौदा का अनुभव संभवतः इस अपमान का सबसे ज्वलंत उदाहरण है। अम्बेडकर विदेश से सर्वोच्च शिक्षा प्राप्त कर बड़ौदा आए थे। स्वयं बड़ौदा नरेश ने उन्हें राजसेना के लिए आमंत्रित किया था। सेना सचिव के पद पर उनकी नियुक्ति हुई। लेकिन कार्यालय के कर्मचारियों की नजर में अंततः वे एक अछूत ही थे। फाइल दूर से का ऐसा उपविभाजन प्राकृतिक था। शनै–शनै लेकिन, इन उपविभाजनों में वर्ग व्यवस्था के खुलेपन के गुणों का पतन होने लगा और यह जाति कहलाने वाली बन्द इकाई बन गए। ऐसे ही किसी समय में पुजारी वर्ग द्वारा, अन्य लोगों से स्वयं को अलग रखने तथा बन्द व्यवस्था की नीति के कारण जो बाद में जाति व्यवस्था में परिवर्तित हो गई, से इसका प्रारम्भ हुआ होगा।

अम्बेडकर प्रश्न उठाते हैं, प्रश्न यह है कि क्या वे दरवाजा बन्द करने के लिए बाध्य किए गए तथा अपनी ही जाति में विवाह सम्बन्ध करने लगे या उन्होंने दरवाजे अपने आप बन्द किये? मैं कहता हूं कि इसका उत्तर दो लाइनों में है : कुछ ने दरवाजे बन्द किये, कुछ ने अपने सामने दरवाजे बन्द पाए।''

अम्बेडकर लिखते हैं, ''यह एक आम धारणा है कि भारतीय आर्यों का सामाजिक संगठन चातुर्वण्य के सिद्धान्त पर आधारित था और चातुर्वण्य का अर्थ होता है समाज का चार वर्गों– ब्राह्मण (पुरोहित), क्षत्रिय (सैनिक), वैश्य (व्यापारी) और शूद्र (दास) में विभाजन। किन्तु इससे शूद्रों की समस्या की वास्तविकता अथवा व्यापकता का कोई

सम्पादकीय का शेष...खाप पंचायतों के तुगलकी फरमानों पर

नाकाम है और इस मामले पर कानून आने में देरी होती है तो अब अदालत को इसमें दखल देना पड़ेगा।

देश संविधान के आधार पर चलता है। लोकतंत्र में वहां के नागरिकों को मिले संवैधानिक मौलिक अधिकारों पर कोई भी स्थानीय स्तर पर गठित सामाजिक समूह या पंचायतें बाधित नहीं कर सकती और न ही उन्हें वंचित कर सकती है। सामाजिक व्यवस्था को सुचारू तरीके से चलाने का दावा करने वाले किसी संगठन, संस्था या पंचायत की गतिविधियां एक प्रगतिशील और सभ्य समाज बनाने का उद्देश्य होना चाहिए, न कि किसी जड़ परम्परा को बनाये रखने की खातिर अमानवीयता की हद तक जाने के लिए। समाज सुधार के नाम पर खाप पंचायतें प्रेम सम्बन्धों और विवाहों को जातिगत द्वेष अपराधिक स्तर तक सक्रिय दिखाई पड़ती है जो सरासर संविधान की अवहेलना है और सभ्य व प्रगतिशील समाज को अन्धकार की ओर ले जाने वाला है।

समाज अभी तक वर्ण व्यवस्था, जात–पांत, ऊंच–नीच, छुआछूत, गरीबी, बेरोजगारी, अशिक्षा, असुरक्षा, दवाई के अभावों से जुझ रहा है। वहां अभी तक न पर्याप्त स्कूल, अस्पताल, कुंए, तालाब हैं और न ही रोजी–रोटी के कोई साधन है। भले ही गांवों में कुछ मुट्ठी भर लोग शान–शौकत से रह रहे हों पर 80–90 फीसदी आबादी ऐसे शान–शौकत के सपने भी नहीं ले सकते। खाप पंचायतों को ये सामाजिक समस्यायें दिखाई नहीं पड़ती। उनकी नजर तो उन युवा दम्पत्तियों की ओर होती है जो अपने संवैधानिक मौलिक अधिकार का इस्तेमाल करके अपने मन माफिक जीवन साथी चुनते हैं। सुप्रीम कोर्ट की निगाह अब सीधे ऐसे युवा दम्पत्तियों के मौलिक अधिकारों को पूर्ण रूप से सुरक्षा प्रदान करने की ओर है, इसीलिए उसने केन्द्र सरकार को अन्तिम बार चेताया है। अगर अब भी वह शान्त बैठी रहेगी तो फिर सुप्रीम कोर्ट को आगे आकर खाप पंचायतों पर लगाम लगाने के लिए सशक्त आदेश जारी करना होगा।

हिमायती

हिन्दी पाक्षिक पत्र

अम्बेडकर मिशन का प्रतिनिधि पत्र है। इसे मंगाइये, पढ़िए और दूसरों को पढ़ाइये। इससे जन चेतना जागृत होगी और दलित संघर्ष तीव्र होगा। इसका सहयोग

वार्षिक शुल्क 100/- और आजीवन 1000/- मनीआर्डर से आज ही भेजें–

सम्पादक : हिमायती

बी 3/9, दूसरी मंजिल, माडल टाउन-1, दिल्ली-9

गांधी के हरिजन

आज,
मानवीय मूल्यों के
मानदण्ड बदल रहे हैं
कट्टर धर्मांधता के
महल ढह रहे हैं
नवब्राह्मणवादी
'गांधी के हरिजन'
अपने ही अस्पृश्य कुनबे को
छल रहे हैं
ब्यूरोक्रेट्स के
शब्दजाल ओढ़े
ब्राह्मणवादियों के
कदम में कदम मिलाकर
चल रहे हैं
मूलधर्मी
आदिधर्मी की
लाशों पर
रुआब से
टहल रहे हैं।
इसलिए
विद्रोह की अवधारणाएं
आपसी सहयोग के
भीतर की
कामनाएं
हिन्दू फासीवाद का
खमियाजा भोग रहे हैं
अस्पृश्य
अवर्ण
दलित
और वंचित
दहल रहे हैं। ●

– पारसनाथ

पटक कर देते थे। लिपिकों को रखा पीने का पानी तक न मिलता था। बड़ी मुश्किल से एक पारसी आवासगृह में रहने के लिए जगह मिली, लेकिन असलियत मालूम होने पर वहां से भी धक्के मारकर निकाल दिया गया। अंततः समाज ने उन्हें समझा दिया कि अस्पृश्य कितना ही विद्वान क्यों ना हो जाये, रहता है अस्पृश्य ही। उस समय अपमान का जो घुंट डॉ. अम्बेडकर पी गए वही आगे चलकर ज्वाला के रूप में फूटा हो तो अस्वाभाविक नहीं। आश्चर्य की बात तो यह है कि उस ज्वाला में स्वयं अम्बेडकर नहीं जले बुझे। वस्तुतः वह अग्नि तेज के रूप में प्रकट हुई।

अम्बेडकर ने भारत में जाति व्यवस्था के विश्लेषण को अपने पहले निबंध कार्य ''कास्ट इन इण्डिया, देयर मैकेनिज्म, जेनेसिस एण्ड डवलपमेंट'' के द्वारा किया। उन्होंने दर्शाया कि शुरुआत में हिन्दू समाज वर्गों में संगठित था और प्राचीन भारत में ब्राह्मण (पुजारी वर्ग), क्षत्रिय (योद्धा वर्ग), वैश्य (व्यापारी वर्ग) तथा शूद्र (कारीगर या श्रमिक वर्ग) के रूप में उपस्थित था। इस व्यवस्था का मूल गुण यह था कि एक व्यक्ति के एक विशिष्ट वर्ग से दूसरे वर्ग, यदि वह उस वर्ग के आवश्यक गुण ग्रहण कर ले तो, में परिवर्तन की सम्भावना थी। विभिन्न लोगों के समूहों द्वारा सहज रूप से उत्तरदायित्वों के निर्वाह की विविधता के कारण समाज अनुमान नहीं होता। यदि चातुर्वण्य का मतलब केवल चार वर्गों में समाज का विभाजन ही होता तो भी यह एक निरापद सिद्धान्त रहा होता। किन्तु दुर्भाग्यवश, चातुर्वण्य का सिद्धान्त बस यहीं तक सीमित नहीं है।

यह सिद्धान्त समाज को चार श्रेणियों में तो बांटता ही है। बल्कि उससे भी आगे बढ़कर यह वर्गीकृत असमानता को चारों वर्णों के बीच जीवन की सबद्धता की शर्तें तक करने का आधार भी बनाता है और फिर वर्गीकृत असमानता का संबंध केवल ध ाारणा से नहीं है। यह वैधानिक और दण्डात्मक है। चातुर्वण्य व्यवस्था में, शूद्रों को सबसे निचले पायदानों पर तो रखा ही गया, उन पर असंख्य कलंक और अयोग्यताएं भी लाद दी गई जिससे वे अपने लिए निर्धारित नियमों से ऊपर उठ ही न पाए। वस्तुतः जब तक अछूतों का पांचवां वर्ण अस्तित्व में नहीं आया था तब तक हिन्दुओं की दृष्टि में शूद्र लोग निचलों में भी सबसे नीचे थे। इससे शूद्रों की कथित समस्या की प्रकृति का पता चलता है।''

भारत में जाति अम्बेडकर का शोध प्रबंध है जो उन्होंने पढ़ाई के दौरान डिग्री के लिए 1917 में अमेरिका में लिखा और इंडियन एंटीक्वेरी की एक विद्वान सभा की गोष्टी में पढ़ा था।

पृष्ठ 1 का शेष.....सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में दलित साहित्यकारों की भूमिका

शंखनाद भगवान बुद्ध ने किया, जिन्होंने कहा कि शिक्षा पाने का सबको बराबर का अधिकार है। उन्होंने अछूतों के लिए भी बौद्ध विहार के द्वार खोल दिए पर बौद्ध धर्म के पतन व पलायन के बाद ब्राह्मणवाद फिर हावी हो गया और वर्ण व्यवस्था व जात–पांत का और कठोरता से पालन शुरू हुआ। इससे दलित अछूत जातियों का जीवन और दूभर हो गया। उन्हें शिक्षा, सम्पत्ति, सत्ता के अधिकारों से वंचित करके सवर्णों की दया पर जीने को बाधित कर दिया।

मध्य युग में गुरू रविदास जी ने ब्राह्मणों के गढ़ 'काशी' में इस वर्ण व्यवस्था को चुनौती दी और कहा कि सब इंसान बराबर हैं और सबाके सम्मान से जीने का अधिकार है। उन्होंने कहा–

जात पांत पूछे न कोई,
हरि को भजे सो हरि का होई।
जात जात में जात है
ज्यों केलन में पात
'रविदास' मानुस न जुड़ सके,
जब लौं जात न जात।।
चारों वेद करे जो खंडोति,
'रविदास' ताहि करे दंडोति।।

उन्होंने 'दासता' व गुलामी को भी चुनौती दी–

पराधीनता पाप है
जानहि लेओ मेरे मीत।
रविदास दास पराधीन सो
कौन करे है प्रीत।।
पराधीन का दीन कया
पराधीन बेदीन।
'रविदास' दास पराधीन को
सभी समझें हीन।।

गुरू रविदास जी ने ब्राह्मणों की उच्चता को भी यों चुनौती दी–

रविदास ना ब्राह्मण पूजिये
जो हो गुण हीन।
पूजिये पांव चांडाल के
जो हो ज्ञान प्रवीन।।

इस तरह सामाजिक दशा परिवर्तन का पहला काम दलित समाज के प्रथम साहित्यकार गुरू रविदास जी ने सर्वप्रथम शुरू किया। उन्होंने चित्तौड़ की महारानी झालीबाई व मीराबाई को दीक्षा देकर जहां स्त्रियों को समानता के धरातल पर लाने का काम किया, वहीं 50 के लगभग राजा–महाराजाओं को दीक्षा देकर झोंपड़ियों की पगडंडी को महलों से जोड़कर सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन का काम किया। पर उनके देहावसान के बाद ब्राह्मणवाद ने बदले की भावना से दलितों का दमन प्रारम्भ कर दिया। देश की सत्ता परिवर्तन होने पर राजा, महाराजा, बादशाह कोई भी आये, पर सामाजिक सत्ता पर एकाधिकार ब्राह्मण वर्ग का ही रहता था, इसलिए दलित अछूतों की आवाज कोई सुनने वाला नहीं था।

19वीं सदी में महात्मा ज्योतिबा फुले का अवतरण हुआ। उन्होंने समाज की नब्ज पकड़ते हुए सबसे पहले दलितों की शिक्षा पर जोर दिया। उन्होंने दलितों की शिक्षा के लिए स्कूल खोले। इसमें प्रथम शिक्षिका उनकी धर्मपत्नी सावित्रीबाई फुले बनी। उन्होंने दलितों में जाग्रति के लिए आह्वान किया–

विद्या बिन मति गई,
मति बिना गति गई,
गति बिना नीति गई,
नीति बिना वित्त गया,
और वित्त बिना सब कुछ गया,
यह सब हुआ एक विद्या बिना।

महात्मा फुले ने ब्राह्मणवादी सामाजिक व्यवस्था के विरुद्ध सत्यशोधक समाज की स्थापना की जिसमें समता, स्वतंत्रता, बन्धुता को प्राथमिकता दी गई। उन्होंने सती प्रथा का विरोध करते हुए विधवा विवाह को प्रोत्साहित किया। 'गुलामगीरी' ग्रन्थ लिखकर गुलामी प्रथा की खुली खिलाफत की।

२०वीं सदी में बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने संत गुरू रविदास व महात्मा ज्योतिबा फुले के सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन को आगे बढ़ाते हुये वर्ण व्यवस्था, जात–पांत, ऊंच–नीच, भेदभाव पर सीधा प्रहार किया। उन्होंने सवाल किया कि दलित–अछूत जब हिन्दू धर्म के अंग हैं तो उन्हें अन्य हिन्दुओं की तरह बराबरी के अधिकार क्यों नहीं हैं? उन्होंने दलितों को समानता के अधिकार दिलाने के लिए महाड़ के चोबदार तालाब के पानी पर अछूतों के अधिकार हेतु आन्दोलन शुरू किया और विजय प्राप्त की। इसी तरह नाशिक के कालाराम मन्दिर में दलितों का प्रवेश का अधिकार दिलाने के लिए आन्दोलन शुरू किया और काफी संघर्ष के बाद दलितों को मन्दिर में प्रवेश दिलाया। उन्होंने वर्ण व्यवस्था व सामाजिक विषमता की जननी 'मनुस्मृति' की होली जलाकर सामाजिक समता का नारा बुलन्द किया।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने लंदन की राउंड टेबुल कान्फ्रेंस में भारत के दलित–अछूतों की दुर्दशा का विहंगम चित्र खींचते हुए अंग्रेजी हकूमत से कहा कि हमें भी राजसत्ता में अलग से वोट का अधिकार चाहिए। इस पर अंग्रेजी सरकार ने अछूतों को 'कम्युनल अवार्ड' के अन्तर्गत पृथक निर्वाचन क्षेत्र व दो वोट दिये जाने का अधिकार दिया। इससे सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह बदल जाने वाली थी, पर गांधी जी ने पूना की यरवदा जेल में इस 'कम्युनल अवार्ड' के विरुद्ध आमरण अनशन करके बाबा साहब डा. अम्बेडकर को इसे अस्वीकार करने को बाधित कर दिया। इसकी एवज में राजसत्ता पर काबिज होना चाहिए, क्योंकि वे देश की आबादी में 85 फीसदी हैं जबकि शेष 15 फीसदी ब्राह्मणवादी लोग उन पर सदियों से राज कर रहे हैं।

देश 15 अगस्त, 1947 को आजाद हो गया और 26 जनवरी, 1950 को समता, स्वतंत्रता व बंधुता पर आधारित भारतीय संविधन भी लागू हो गया। पर आजादी के 69 सात बीत जाने के बाद भी देश के दलित संविधान की प्रस्तावना के उद्देश्य भी हासिल नहीं कर पाये हैं। इसका प्रमुख कारण मनुवादी व्यवस्था तो है ही, पर उससे बढ़कर मनु–मानसिकता के आगे संवैधानिक समता के मौलिक अधिकार तिरोहित होते जा रहे हैं। देश के ६ लाख गांवों में दलित आज भी दोयम जीवन जी रहे हैं। दलितों का नर–संहार, अत्याचार, अपमान, अन्याय, शोषण, दमन आज भी बदस्तूर जारी है। दलित युवक व युवतियों का बेइज्जती, बलात्कार व कत्ल आज आम बात है।

दलितों के घरों को आग लगा देना, उन्हें जिन्दा जला देना, खेत–खलिहानों से उन्हें बेदखल करना, कुंओं, तालाबों, रास्तों से उन्हें बेदखल कर उन पर तरह–तरह की पाबन्धी लगा देना, आज हर रोज की बात है।

अब बाबा साहब डा. अम्बेडकर की

दलित समाज के युवकों से

दलित समाज के युवको! तुम जागो
और समाज के बाकी लोगों को जगाओ
तुम ऊपर उठो धरातल से और चेतना भर
उन्हें भी ऊंचा उठाओ।
बता दो उन्हें कि/अब समय नहीं रोने का
दीन–हीनता में फंस, भाग्य के सहारे सोने का
यह क्रान्ति का युग है, स्वयं कुछ करने का
कायरता को छोड़, अपनी मुक्ति के लिए लड़ने का
तुम आगे बढ़ो/और/दलित–शोषितों का
बाबा का फरमान सुनाओ
बाबू जी का आह्वान बताओ
उनको / वाल्मीकि जी का सन्देश सुनाओ
उन्हें कबीर, दादू, पीपा का इतिहास बताओ
उनमें/नामदेव और ज्ञानेश्वर का ज्ञान जगाओ
तुम/उनमें अशान्ति, अहिंसा का नहीं
क्रान्ति का मन्त्र फूंको/उनमें निर्भीकता और वीरता भरो
अत्याचार, अन्याय और दमन के विरुद्ध
तुम आगे आकर/शिक्षा के प्रचार पर/जोर दो
हर दलित बच्चे को
तुम शिक्षा की ओर मोड़ दो।
पेट पट्टी बांधकर भी, अगर
मेरी यह पीढ़ी पढ़ जायेगी
तो/उसमें अन्यायियों से
जूझने की शक्ति/स्वयं आ जायेगी।
नगाड़े की चोट/बता दो/सभी को/कि
गेरुवे वस्त्र पहन/अलख जगाकर
गीदड़ ही बेमौत मरते हैं/भेंड़ बकरे ही भेंट चढ़ते हैं,
शेरों की कभी बलि नहीं दी जाती
क्योंकि/हत्यारे भी उनसे डरते हैं
इसीलिए/समाज के सभी युवकों को/तुम
खूंखार शेर बनाओ/जिससे कि/सदियों की गुलामी से मुक्ति मिले
और मरो भी तो/शूरवीर कहलाओ। **– डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर**

तुम दीपक बनो स्वयं के

दलितों! जगो, उठो, आगे बढ़ो
तुम्हें स्वयं राह बनाना है
उसी पर आगे बढ़ते जाना है।
मत आशा तको किसी की
न कोई तुम्हें जगाने आयेगा
न मार्ग बतायेगा, न आगे बढ़ायेगा
तुम दीपक बनो स्वयं के
तुम्हें ही प्रकाश करते जाना है
अपने सिवाय तुम्हारे
यहां न कोई तुम्हारा मीत है
सदियों से जिन्होंने तुम्हें रौंदा है
उनसे क्या मिलने की उम्मीद है
फिर तुम अपने बनो खुद सहारे
तुम्हें अपनी नैया
खुद ही खेते जाना है।
जिनके रहे हो गुलाम तुम
वह आजाद करेगा क्यों
जिसके मुंह लगा हो खून तुम्हारा
वह अब तुम्हें
स्वतंत्र छोड़ेगा क्यूं
इसलिए तो तुम्हें खुद
इन गुलामी की बेड़ियों को
काटते जाना है
तुम्हारे लिए तो अभी भी
चारों ओर घनघोर अन्धेरा है
तुम्हारे हर प्रगति के रास्ते पर
जालिम दुश्मनों का घेरा है
पर हिम्मत से ले काम
तुम्हें स्वयं इसे तोड़ते जाना है।
– डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर

'पूना पैक्ट' हुआ जिसके अन्तर्गत अछूतों को आरक्षित–निर्वाचन क्षेत्र व सरकार व शिक्षा संस्थानों में उनकी आबादी के अनुपात में आरक्षण दिये जाने का प्रावधान किया गया। देश को आजादी मिलने के बाद जब बाबा साहब डा. अम्बेडकर को भारतीय संविधान निर्माण का काम सौंपा गया तो उन्होंने उसमें समता, स्वतंत्रता व बन्धुता को तो प्राथमिकता दी, साथ ही दलित–अछूतों को समाज की ऊंच–नीच की खाई से बराबर के धरातल पर लाने के लिए निर्वाचन, शिक्षा एवं नौकरियों में आरक्षण का प्रावधान किया और छुआछूत व किसी भी तरह के मानवीय भेदभाव को दण्डनीय करार निर्धारित किया।

बाबा साहब डा. अम्बेडकर ने देश के दलितों को न केवल उनकी सामाजिक व आर्थिक विषम स्थिति से अवगत कराया बल्कि इससे छुटकारा पाने के लिए शिक्षित बनने, संगठित होने व संघर्ष करने का रास्ता भी दिखाया। उन्होंने राजा व रंक, महारानी व मेहतरानी के भेद को मिटाकर सामाजिक विषमता की त्रासदी झेल रहे करोड़ों लोगों को विकास की ओर बढ़ने के लिए बराबरी के अवसर देकर भारतीय दलित जन समुदाय को एक नया जीवन प्रदान किया।

डा. अम्बेडकर राजनीति के महानायक थे, उन्होंने आह्वान किया कि देश के अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग व धार्मिक अल्पसंख्यकों को मिलकर देश की प्रेरणा से दलित साहित्य विभिन्न विधाओं में, सभी भाषाओं में अपने उभार पर है। दलित साहित्यकार अपनी आत्मकथाओं व अपनी अन्य रचनाओं में सामाजिक विषमता, अन्याय, अत्याचार पर खुलकर लिख रहे हैं, उससे दलित समाज में अपने अधिकारों के प्रति चेतना तो जाग्रत हुई है, पर उनका यह दलित साहित्य का हथियार सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में कोई ज्यादा कारगर सिद्ध नहीं हुआ है, क्योंकि एक अकेली बहन मायावती के मुख्यमंत्री बन जाने या बहन मीरा कुमार के लोकसभा अध्यक्ष बन जाने या फिर डा. के.आर. नारायणन के राष्ट्रपति बनने व श्री के.जी. बालाकृष्णन के सुप्रीम कोर्ट का 'चीफ जस्टिस' बन जाने को हम पूर्ण सामाजिक परिवर्तन नहीं कह सकते। यह एक शुरुआत भर है, एक पहला कदम है सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन की आरे, पर इससे आगे अगर हम मनुवादी व्यवस्था से छुटकारे के लिए और पूर्ण सामाजिक व्यवस्था, बदलना चाहते हैं तो दलित साहित्यकारों को कलम के साथ–साथ बाबा साहब डा. अम्बेडकर के शिक्षा सूत्र के बाद, उनके संगठन व 'संघर्ष' के मूलमंत्र को हृदयांगम करके उस पर दृढ़ता से अमल करना होगा, वरना सामाजिक व्यवस्था परिवर्तन में दलित साहित्यकारों की भूमिका अधूरी ही रहेगी।•

हिमायती
4 / फरवरी (प्रथम), 2018 (कुल पृष्ठ 4)
पोस्टल डिस्पेच तिथि : 1-2 फरवरी, 2018

आर. एन. आई. नं. 40611/62
रजि. G-3/DL(N)/090/2018-2020
प्रकाशन तिथि : 30 जनवरी, 2018

धधकता आरक्षण और सिसकता शोषित समाज

• आर. कुमार कुलपति

आजकल देखने में बहुधा यह आ रहा है कि मीडिया में आरक्षण का अधूरा ज्ञान रखने वालों का बयान अधिकांशतः आरक्षण के विरोध में बढ़–चढ़कर आ रहा है। इसको बुद्धिजीवी वर्ग ही समझ सकता है कि आखिरकार यह अगड़े वर्ग की मानसिकता है जिसकी वजह से आरक्षण का विरोध मीडिया में ज्वालामुखी जैसे स्फुटित हो रहा है। एक लंबे अर्से से इस देश के करोड़ों सामाजिक व शैक्षणिक रूप से उपेक्षित व अपमानित नागरिकों को सामाजिक जीवन की मुख्य धारा से जोड़ने के सपने को साकार करना पानी में लकीर खीचने के समान है। लोकतंत्र की धुरी न्याय है परन्तु विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र पर अपना परचम लहराते हुए हमारे महान भारत का एक बहुत बड़ा तबका सामाजिक न्याय से मीलों दूर है। सिर्फ उसके हाथों को मरोड़ने वालों के हाथ मजबूत हो रहे हैं। स्मरण रहे कि कुछ खास किस्म का तबका कौन है जिसके कदमों में पड़ा लोकतंत्र का असली वारिस गिड़गिड़ा रहा है। जिस तबके के समक्ष पिछड़ा वर्ग तथा अनूसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तर्कहीन, सम्मानीय है किन्तु शूद्र गुणी और ज्ञानवान होने पर सम्मानीय नहीं है।

ढोल, गवार, शूद्र, पशु नारी।
ये सब है ताड़न के अधिकारी।

क्या यह कड़वा सच नहीं है–

1. हिन्दू धर्म की वर्ण व्यवस्थानुसार छत्रपति शिवाजी महाराज शूद्र थे। उनकी माता यादव और पिता कुर्मी जाति से संबंधित थे। पिछड़े वर्ग के इन दो ताकतवार जातियों को याद दिलाना चाहूंगा कि किसी भी ब्राह्मण ने महाराज शिवाजी से दान लेकर उनका राज्यभिषंक नहीं किया। हार–थककर शिवाजी महाराज ने वाराणसी के गंगा भट्ट नामक निम्नकोटि के कथित ब्राह्मण के द्वारा एक मोटी कीमत अदा करने पर वह भी अपमानजनक तरीके से पैर के अंगूठे से करवाया गया। मेरे कहने का अर्थ यह है कि हिन्दूस्तान की धरती पर हिन्दुओं के रक्षक और औरंगजेब को कड़ी टक्कर देने वाले पराक्रमी शूरवीर महाराजा शिवाजी की यह वस्तुस्थिति थी। इससे पिछड़े वर्ग को सबक सीखना चाहिए।

2. भारत में आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज ने जब सन स्वामी जी के मन्दिर प्रवेश करने के बाद मंदिर को गंगा जल से धुलाया गया और नई मूर्ति के स्थापना का प्रावधान किया गया।

अब मैं सीधे धधकते आरक्षण व सिसकते शूद्र समाज के मुद्दे पर आ जाता हूं। आखिरकार आज तक सबसे ज्यादा आरक्षण किसको मिला है और मिल रहा है? हमारे विशेष माध्यम से उपलब्ध चौंकाने वाले आंकड़ों पर एक नजर डालें–

(1) सन 1935 में कायस्थ का वर्ग 'अ' की केंद्रीय सेवाओं में प्रतिनिधित्व 40 प्रतिशत था जो 1985 में शनैः शनैः क्षीण होकर 7 प्रतिशत हो गया, लेकिन इसके विपरीत ब्राह्मणों का प्रतिनिधित्व 70 प्रतिशत हो गया।

(2) संविधान संरचना पर ध्यान दिया जाए तो यह स्पष्ट होता है कि इसमें 78 प्रतिशत अगड़ी जातियों में से 46 प्रतिशत ब्राह्मण थे।

(3) 1892 से 1904 तक आईसीएस परीक्षा के लिए 16 उम्मीदवारों में 15 ब्राह्मण थे। 1914 में 128 स्थायी जिला मुंसिफ मजिस्ट्रेटों में 93 ब्राह्मण थे। थे। विदेशों में राजदूत 41 प्रतिशत थे विश्वविद्यालयों के कुलपति 51 प्रतिशत थे। आईएएस 61 प्रतिशत ब्राह्मण थे।

(8) हो सकता है कि उपर्युक्त आंकड़े कुछ अगड़े वर्ग के गले के नीचे न उतर रहा हो तो फिर वर्तमान काल का जायजा कर लीजिए–

अब हम सीधे सन् 2003 पर आ जाते हैं। भारत सरकार के बहुत महत्वपूर्ण 78 पदों में से 33 पदों पर सिर्फ ब्राह्मण विराजमान हैं जिनका प्रतिशत 42 है।

उपर्युक्त आंकड़े हम समाज के बुद्धिजीसियों के संज्ञान में इसलिए लाना चाहते हैं, क्योंकि आजकल अखबारों में आरक्षण के मुद्दे की झमाझम बरसात हो रही है कि आरक्षण का आधार आर्थिक होना चाहिए। लीजिए इसका भी हमारे पास धमाकेदार जवाब है। वर्तमान सांसद व मंत्री प्रधान मंत्री कार्यालय श्री विजय गोयल जी संभवतः इसकी जानकारी विस्तारपूर्वक दे सकते हैं। वर्ष 1990 में श्री विजय गोयल जी दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्य परिषद के सदस्य थे। उस समय श्री राम कालेज आफ कामर्स और लॉ सेंटर के प्रवेशों में बरती गई अनियमितताओं गरीबी पर आधारित सवर्णों के लिए अपेक्षित आरक्षण जालसाजी को बढ़ावा मिलेगा। प्रसिद्ध अधिवक्ता ने इंडियन एक्सप्रेस के दिनांक 28.4.1990 कें संस्करण में प्रकाशित बहुचर्चित लेख 'मंडल रीविजेटेड' से विचार व्यक्त किया कि–'आरक्षण जाति को शाश्वत नहीं बनाता बल्कि इसके घृणित परिणामों को विनष्ट करता है।'

आज देश की बागडोर ऊंची जातियों के हाथ में कैद है और निम्न जातियां ओछे कामों के लिए छोड़ दी गई हैं कहने का तात्पर्य यह है कि इस स्थिति में अगड़ी जातियों के वर्चस्व की शाश्वतता बरकरार है परन्तु, पिछड़ों व दलितों के अंतर्गत हीनता की कुंठित भावना, अन्याय के प्रति उद्वेलित होने की प्रबल आकांक्षा, सामाजिक न्याय के लुभावने नारे के प्रति वितृष्णा बढ़ती रहेगी जिसको कतई मन से निष्कासित करने की आवश्यकता है।

मैं इस बात का कायल हूं कि अधिक समय के लिए आरक्षण देश की सेहत के लिए फायदेमंद नहीं है किन्तु इसके लिए पूर्णरूपेण जिम्मेवार कौन है? आरक्षण के विधिवत लागू न हो पाने से इसकी उम्र दिन प्रति दिन

हास्यास्पद और मूढ़ प्रतीत होता है।

यह सर्वविदित होना चाहिए कि पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/जनजाति के लोग हिन्दू वर्ण व्यवस्थानुसार शूद्र हैं चाहे वे यादव हों, वर्मा व पटेल या हरिजन आदि सभी शूद्र है। फर्क बस इतना है कि शूद्र दो भागों में विभाजित हैं।

एक को सछूत और दूसरे को अछूत कहा जाता है। वर्तमान में जिन्हें पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जाति/जनजाति कहा जाता है। गौरतबल है कि अगड़े वर्ग में कोई विभाजन नहीं है। यह विभाजन शूद्र वर्ण में एक ठोस साजिश के तहत किया गया है। संभवतः यह जानकर कि शूद्रों की संख्या अधिक होने के कारण समाज में वह समस्या न पैदा कर दें लिहाजा उनके दो भागों में सछूत और अछूत नाम पर बंटने से एक–दूसरे के बीच नफरत धीमे जहर की तरह फैलेगा आपस में लड़ते रहेंगे। प्रत्यक्षम किम् प्रमाणम्। आज उनके दूरगामी सोचरूपी बीम के अंकुर त्वरित गति से स्फुटित हो रहे हैं।

गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरित मानस में लिखा है कि–

पुजिय विप्रशील गुण हीन।
नहि शूद्र गुण ज्ञान प्रवीना।।

अर्थात सभी गुणों से हीन ब्राह्मण 1920 में 50 प्रतिशत का आरक्षण लागू किया तो उस समय कट्टर ब्राह्मणों ने साहूजी महाराज को शूद्रों का राजा कहा। देश के राष्ट्रभक्त कहलाने वाले बाल गंगाधर तिलक ने उनका विरोध अपने अखबार "दैनिक केसरी' कें माध्यम से किया।

(3) बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने लंदन में गोलमेज सम्मेलन के दौरान दलितों के आरक्षण की बात जब उठाई तो पंडित मदन मोहन मालवीय ने कहा कि ऐसा कदापि नहीं हो सकता आखिर आप, हम और अस्पृश्य समाज सब हिन्दू हैं। उसी दौरान मौका देखकर डॉ. भीमराव अंबेडकर ने पानी का एक भरा गिलास उठाकर कहा कि अगर आप दलितों को हिन्दू मानते हैं तो मेरा छुआ हुआ पानी पीजिए तब पंडितजी ने इनकार कर दिया।

(4) बाबू जगजीवन रामजी के वाराणसी में डॉ. संपूर्णानंद की मूर्ति अनावरण करने के पश्चात ब्राह्मणों ने उस मूर्ति को दूध से धुलाकर गंगा जल से पवित्र किया।

(5) स्वामी विवेकानंद जी जिन्होंने अपने अध्यात्मक का परचम न केवल भारत में अपितु विश्व में लहराया, बंगाल के कायस्थ जाति (श्रीवास्तव जाति) के थे जिन्हें बंगाल में 'शूद्र' कहा जाता है। इसलिए अगड़ा वर्ग ने 1944 में विश्वविद्यालयों के 650 पंजीकृत स्नातकों में से 452 ब्राह्मण थे।

(4) 1980 में प्रथम वर्ग सेवा में उच्च जातियों का हिस्सा 89.63 प्रतिशत था और अनूसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी 5.68 प्रतिशत था।

(5) 11 सितंबर 1981 में राज्यसभा में प्रस्तुत विदेशों में स्थापित हाई कमीशन में नियुक्त कर्मचारियों में प्रथम. वर्ग की सेवा में अगड़ी जातियों की हिस्सेदारी 90.90 प्रतिशत था. पिछड़े वर्ग की हिस्सेदारी शून्य प्रतिशत था और अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की हिस्सेदारी 9.10 प्रतिशत था।

(6) संभवतः उपर्युक्त आंकड़े पुराने लग रहे होंगे तो कुछ नए आंकड़ों पर गौर करें–

1982 में 3330 आईएएस में 2376 आईएएस ब्राह्मण थे, राज्यों के मुख्य सचिवों में 26 में से 19 ब्राह्मण थे, गर्वनर 27 में से 13 ब्राह्मण थे, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश 330 में से 166 ब्राह्मण थे, 244 राज्यसभा वाली जगहों में से 89 ब्राह्मण थे, राजदूत 140 में 58 ब्राह्मण थे।

(7) सन 1988 में से केंद्रीय सचिव व अतिरिक्त सचिव 62 प्रतिशत सिर्फ ब्राह्मण थे, राज्यों के सचिव 54 प्रतिशत को उजागर किया। दिनांक 28.12. 1990 को उन्होंने मौलाना आजाद मेडिकल कालेज में अनुसूचित जाति के फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर प्रवेश लेने के मामले का पर्दाफाश करते हुए कुलपति कार्यालय के सामने धरने पर बैठ गए, तब जाकर कुलपति ने अपराध शाखा की मदद ली और सात अभ्यर्थियों को पकड़ा गया।

यह विचारणीय है कि अनूसूचित जाति का प्रमाण पत्र जारी हो सकता है तो गरीबों का प्रमाण पत्र दबंग व संभ्रांत लोग ले जाएंगे और गरीब देखते रह जाएंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि व्यापारी वर्ग अपनी बैलेंसशीट में हर साल हेराफेरी कराकर स्वयं को गरीबी में साबित करके आयकर व विक्रय क्रय को डकार जाता है। जबकि यह आयकर अधिकारी को भी पता होता है। अतएव बढ़ती चली जा रही है। अगड़े वर्ग जो कि पिछड़े वर्ग का हिस्सा लेकर हर्षित, मुद्रित व प्रसन्नचित होकर इतरा रहे हैं मेरे विचार से वे ताजमहल के समान हैं। जैसे ताजमहल दुनिया की खूबसूरत इमारत है और सांस्कृतिक धरोहर के रूप में जाना जाता है तो इसका दूसरा रूप यह है कि वह भारत के गरीब जनता के चूसे हुए खून की जीती–जागती प्रतिमा है। एक शायर ने ठीक ही कहा है कि–

दिन में दीप जलाने से
कुछ नहीं होगा,
राख में आग लगाने से
कुछ नहीं होगा।
अब तुझे मिलने को
मुमताज कहां शाहजहां,
लाश पर ताज उठाने से
कुछ नहीं होगा। •

स्वामी, सम्पादक/ प्रकाशक एवं मुद्रक डॉ. सोहनपाल सुमनाक्षर द्वारा वन्दना आफसेट प्रिन्टर्स, A-9 सराय पीपलथला एक्सटेंशन, दिल्ली-33 में मुद्रित तथा 233 टैगोर पार्क, माडल टाउन, दिल्ली-9 से प्रकाशित।❑ सह सम्पादक - श्रीमती त्रिलोचन सुमनाक्षर ❑ व्यवस्थापक : जय सुमनाक्षर, फोन : 27421449, मो. 9810278936 Email-sumanakshar@ymail.com
नोट : हिमायती में प्रकाशित रचनाओं के लिए सम्पादक की सहमति जरूरी नहीं। हिमायती से सम्बन्धित किसी भी कानूनी कार्रवाई का क्षेत्र दिल्ली न्यायालय तक ही सीमित है।